न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मोहनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति–माहेश्वरी सोनी, निवासी–ग्राम ओसियां तहसील ओसियां, जिला जोधपुर		1. ग्राम पंचायत ओसियां जरिये सरपंच, पंचायत समिति ओसियां जिला जोधपुर 2. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 2032 दिनांक 17.12.2001 जो तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 13.08.2019

अपीलान्ट मोहनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति माहेश्वरी सोनी निवासी ग्राम ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ओसियां जरिये सरपंच जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 17.12.2001 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2032 ग्राम ओसियां को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. आबादी वाके ग्राम ओसियां में स्थित है एवं पूर्व में उक्त वर्णित खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि की किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प दर्ज करवाये जाने पर उक्त खसरे की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 1412 के तहत अपीलार्थी के नाम किस्म गै.मु.पेट्रोल पम्प का स्वीकृत किया गया, इसके पश्चात् पेट्रोल पम्प संचालित नहीं होने

के कारण अपीलार्थी ने उक्त भूमि की किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प को गै.मु. धर्मशाला करने हेतु आवेदन करने पर उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा गै.मु. धर्मशाला में संपरिवर्तित करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2032 स्वीकृत करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2032 स्वीकृत करते समय खसरा नम्बर 1585/13 की भूमि को अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत ओसियां के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2032 से व्यथित होकर प्रत्यार्थी संख्या–2 द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि करने, अपीलार्थी द्वारा केवल भूमि की किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प से गैर मुमकिन धर्मशाला में संपरिवर्तित हेतु आवेदन किया परन्तु प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तित कर उक्त खातेदारी की भूमि को राजस्व रेकर्ड में प्रत्यार्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने, अपीलार्थी का मौके पर कब्जा होने के बावजूद अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया जाने, आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 17.12.2001 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2032 ग्राम ओसियां को आंशिक रुप से निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा भूमि की किस्म गै.मु. धर्मशाला को यथावत रखते हुए उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, ओसियां से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 17.12.2001 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2032 ग्राम ओसियां को आंशिक रुप से निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा भूमि की किस्म गै.मु धर्मशाला को यथावत रखते हुए उक्त भूमि को अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार ओसियां द्वारा ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु धर्मशाला का

दिनांक 17.12.2001 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2032 पूर्णतया विधिसम्मत व सही होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 2032 ग्राम ओसियां को यथावत रखने व अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1585/13 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै. मु. आबादी वाके ग्राम ओसियां पूर्व में किस्म बारानी–चतुर्थ अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसको अपीलार्थी द्वारा किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प दर्ज करवाने पर उक्त खसरे की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 1412 के तहत अपीलार्थी के नाम किस्म गै.मु.पेट्रोल पम्प का स्वीकृत किया गया। पेट्रोल पम्प संचालित नहीं होने पर अपीलार्थी ने उक्त भूमि की किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प से गै.मु. धर्मशाला करने हेतु आवेदन करने पर उक्त भूमि को तहसीलदार ओसियां द्वारा गै.मु. धर्मशाला में संपरिवर्तित करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 2032 स्वीकृत करते समय उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं कर उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि ग्राम पंचायत ओसियां के नाम दर्ज कर दी गयी। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 17.12.2001 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2032 ग्राम ओसियां निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओसियां को आदेश दिया जाता है कि प्रचलित राजस्व नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार ओसियां को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर